दूरभाष सं0–06252–242700 (का0)
242800 (आ0), 06252–242900 (फै0)
E-mail:dm-motihari.bih@nic.in

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
जिला स्थापना शाखा
आदेश

सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी एवं विकास की योजनाएँ चलायी जा रही है। इनमें सामाजिक सुरक्षा संबंधी विभिन्न पेंशन योजनाएँ, छात्रवृति योजना, महादलित पोशाक योजना, इन्दिरा आवास योजना, जन वितरण प्रणाली, मनरेगा आदि लक्षित वर्ग से सीधे जुडी है, जबकि अन्य विकास योजनाओं से जनता अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होती है। इन योजनाओं के उद्देश्यों की सफलता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि इनका लाभ लक्षित वर्ग तक किस हद तक पहुँच पाता है, जिसके लिए सरकार दृढ संकल्पित है। इसके लिए योजनाओं का सतत् पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण आवश्यक है।

यद्यपि विभिन्न योजनाओं के पर्यवेक्षण की प्रक्रिया संबंधित योजना की मार्गदर्शिका में निर्धारित रहती है, परंतु विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों में इसके अनुपालन का अभाव पाया जाता है। विदित हो कि ससमय निरीक्षण नहीं होने से योजनाओं की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

पूर्वी चम्पारण जिला में सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी एवं विकास की योजनाओं, राजस्व संबंधी कार्यों तथा अन्य विभिन्न कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण हेतु सभी प्रखंडों के लिए वरीय प्रभारी पदाधिकारी के नामित किये जाने के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश को विलोपित करते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित प्रखंड के वरीय प्रभारी के रूप में नामित किया जाता है।

क्र0	पदाधिकारियों का नाम / पदनाम	आबंटित प्रखंड का नाम
1	2	4
1	श्री रजनीश लाल, अनुमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी, सदर।	तुरकौलिया
2	श्री सुनील कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	सुगौली
3	श्री दुर्गेश कुमार, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी चम्पारण।	कोटवा
4	श्री विवेक सिंह, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पूर्वी चम्पारण।	बंजरिया
5	श्री सुधीर कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण।	मोतिहारी सदर
6	श्री रवि कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	छौड़ादानो
7	श्री मनोज कुमार रजक, अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना।	चिरैया
8	श्री वीरेन्द्र कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिकरहना।	घोड़ासहन
9	श्री मनोज कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण।	पीपराकोठी
10	श्री वीरेन्द्र शर्मा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।	ढ़ाका
11	श्री श्रीप्रकाश, अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल।	आदापुर
12	श्री अरूण प्रकाश, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रक्सौल।	रक्सौल
13	श्री राज कुमार सिंह, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, मोतिहारी	रामगढ़वा
14	श्री राजेन्द्र दास, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	बनकटवा
15	श्री चित्रगुप्त कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया।	कल्याणपुर
16	श्री आशीष नारायण, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चकिया।	केसरिया
17	श्री महेश्वर प्रसाद सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, चकिया।	मेहसी
18	श्री कुमार अमरकान्त, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	चकिया
19	श्री विजय कुमार पाण्डेय, अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज।	संग्रामपुर
20	श्री चन्दन कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण।	अरेराज
21	श्री अनिरंजन सिन्हा, जिला योजना पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	हरसिद्धि
22	श्री शशिभूषण तिवारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।	पहाड़पुर
23	श्री शैलेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल।	पताही
24	श्री राज कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	मधुबन
25	श्री मो0 मुस्ताक, वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण।	पकड़ीदयाल
26	श्री राहुल कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पकड़ीदयाल।	तेतरिया
27	श्री सोमेश्वर प्रसाद, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	फेनहारा

वरीय पदाधिकारियों की बैठक प्रत्येक सोमवार को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में अपराह्न 5:00 बजे होगी। संबंधित पदाधिकारी अपनी सुविधानुसार प्रत्येक सप्ताह बुधवार को छोड़कर किसी एक दिन उक्त प्रखंड का भ्रमण कर अंकित योजनाओं की गहन जॉच एवं समीक्षा करेंगे एवं उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में निरीक्षण/समीक्षा प्रतिवेदन संकलित कर अगले सोमवार की बैठक में भाग लेंगे। उक्त बैठक में गत् सप्ताह वरीय पदाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण/समीक्षा के प्रतिफल की समीक्षा की जायेगी। निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराये जा रहे प्रपत्र Indicative हैं। निरीक्षी पदाधिकारी इसमें परिवर्द्धन करने अथवा अलग से प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु स्वतंत्र होंगे। परन्तु कम से कम विहित प्रपत्रों में निर्धारित सूचनाओं का संकलन आवश्यक होगा।

सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्यतः रविवार तक जिला गोपनीय शाखा में उपलब्ध करा दिया जायेगा। प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, वरीय पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों को प्रखंडवार संचिका में संधारित कर समीक्षात्मक टिप्पणी के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे। निरीक्षण प्रतिवेदन पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित आदेश के आलोक में जिला गोपनीय प्रशाखा द्वारा अग्रेतर कार्रवाई हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित प्रशाखाओं को भेजा दिया जायेगा एवं संबंधित प्रशाखा से पुनः Action Taken Report प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित की जायेगी।

वरीय पदाधिकारी निरीक्षण के क्रम में गलतियाँ ढूँढ़ने तक ही अपने को सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि सुधारात्मक रवैया अपनायेंगे, ताकि योजनाओं का अधिकतम लाभ लक्षित समूह को प्राप्त हो सके। वरीय पदाधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वे अपने कुशल पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में संबंधित प्रखंड की Overall-Performance को उत्कृष्ट श्रेणी में लाना सुनिश्चित करें।

सभी वरीय पदाधिकारी प्रखंडों में समय--समय पर विभिन्न योजनाओं की प्रगति हेतु आयोजित विशेष शिविरों, यथा–इन्दिरा आवास के तहत् शिविर, राजस्व शिविर, छात्रवृत्ति वितरण शिविर, टेक होम राशन वितरण आदि का भी पर्यवेक्षण करेंगे एवं उक्त शिविर की उपलब्धि संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देंगे।

वरीय पदाधिकारी अपने सहयोग हेतु प्रखंड में पदस्थापित तकनीकी पदाधिकारी को भी निरीक्षण के समय साथ रख सकते हैं। निरीक्षण के उपरान्त यदि किसी योजना की विशेष तकनीकी जॉच की आवश्यकता महसूस की जाती है, तो निरीक्षी पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में उसका स्पष्ट उल्लेख भी करेंगे।

उपर्युक्त पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि प्रखंड/अंचल का प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक पूरे दिन नियमित रूप से भ्रमण करेंगे एवं प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपस्थापित करायेंगे तथा पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन देना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य हेतु वे प्रातः 9:00 बजे से 2:00 बजे तक किसी एक पंचायत का औचक रूप से क्षेत्र भ्रमण करेंगे और उनके पश्चात् 3:00 बजे से प्रखंड मुख्यालय में उपस्थित आम नागरिकों/प्रतिनिधियों से प्रखंड स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था के कार्यकलापों के बारे में फीडबैक प्राप्त करेंगे तथा ऑन द स्पॉट समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे।

1. समीक्षा के उपरान्त किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। इसके साथ–साथ प्रखंडों में चल रहे विकास कार्यों का समन्वय कर संबंधित कार्यों के निष्पादन में आवश्यक सहयोग भी प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त अपने प्रखंड अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ऑगनबाड़ी केन्द्रों, जन वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं विकास की अन्य योजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे।

2. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि अपने संबंधित वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निरीक्षण के क्रम में पूरी तरह से सहयोग करेंगे और निरीक्षण के क्रम में मांगी गई हर प्रकार की सूचनाएँ/अभिलेख उपलब्ध करायेंगे। अगर किसी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी या उनके अधीनस्थ कर्मियों द्वारा इस कार्य में असहयोगात्मक रवैया अपनाया जाता है तो उसे गम्भीरता से लिया जायेगा और उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

3. यदि किसी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को उस प्रखंड के भ्रमण/निरीक्षण के लिए विभागीय वाहन उपलब्ध नहीं होगा तो उन्हें उस दिन भ्रमण हेतु उस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त निदेशों का सम्यक् एवं दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त निदेशों का सम्यक् एवं दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।	अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।	ह0/- जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक................./स्था0, दिनांक..

प्रतिलिपि: सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। कृपया उपरोक्त दिये गये निदेशों के आलोक में प्रत्येक सप्ताह औचक रूप से आवंटित प्रखंडों का भ्रमण कर सभी बिन्दुओं पर निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

प्रतिलिपि: उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता/जिला अभियंता, जिला परिषद्, मोतिहारी/सिविल सर्जन, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/सभी सहायक अभियन्ता, पी0एच0ई0डी0, आर0डब्ल्यू0डी0, एल0ए0ई0ओ0, विद्युत, लघु सिंचाई/सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना, पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, (मनरेगा), पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 773 /स्था0, दिनांक 13/10/2016

प्रतिलिपि: सरकार के अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक--7813 दिनांक–1705.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

30/8/16

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।